



प्रेस विज्ञप्ति
दिनांक:- 12.11.2021

महोबा पुलिस

मीडिया सेल, महोबा



थाना कबरई पुलिस टीम ने 500 ग्राम अवैध गांजा के साथ अभियुक्त को किया गिरफ्तार-

पुलिस अधीक्षक महोबा श्रीमती सुधा सिंह के निर्देशन पर जनपद में अपराध की रोकथाम एवं अवैध मादक पदार्थ तस्करों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के अनुपालन में आज दिनांक 11.11.2021 को क्षेत्राधिकारी नगर श्री रामप्रवेश राय के निकट पर्यवेक्षण में थाना प्रभारी कबरई श्री महेन्द्र सिंह तोमर द्वारा गठित उ0नि0 ब्रह्मादीन मय हमराही कां0 सुधीर कुमार के नेतृत्व में मुखबिर खास की सूचना पर ग्राम अलीपुरा थाना कबरई जिला महोबा के पास से अभियुक्त राकेश कपाडिया पुत्र फुल्लू कपाडिया उम्र लगभग 35 वर्ष को 500 ग्राम अवैध सुखा गांजा को बरामद करते हुये गिरफ्तार किया गया, गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर अभियुक्त के विरुद्ध थाना हाजा पर मु0अ0सं0 313/21 धारा 8/20 NDPS एक्ट पंजीकृत किया गया, बाद आवश्यक विधिक कार्यवाही सम्पादित करते हुये अभियुक्त को मां0 न्यायालय के समक्ष पेशी हेतु भेजा गया।

गिरफ्तार करने वाली टीम –

1. उ0नि0 ब्रह्मादीन
2. का0 सुधीर

गिरफ्तार अभियुक्त

राकेश कपाडिया पुत्र फुल्लू कपाडिया उम्र लगभग 35 वर्ष थाना कबरई जिला महोबा।





प्रेस विज्ञप्ति
दिनांक:- 12.11.2021

महोबा पुलिस


मीडिया सेल, महोबा



थाना महोबकंठ की संयुक्त पुलिस टीम ने अवैध शराब सहित 02 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार-

पुलिस अधीक्षक महोबा श्रीमती सुधा सिंह के निर्देशन पर जनपद में अवैध शराब के निष्कर्षण, बिक्री एवम् परिवहन की रोकथाम व इसमें लिप्त अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में दिनांक 11.11.2021 को क्षेत्राधिकारी कुलपहाड़ श्री तेजबहादुर सिंह के निकट पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक श्रीमती रीता सिंह द्वारा गठित संयुक्त पुलिस टीम ने अभियान में शामिल होकर अवैध शराब के विरुद्ध कार्यवाही की जिसमें प्रथम टीम ने ग्राम सौरा कबूतरा डेरा से अभियुक्ता संगम कबूतरा पत्नी पिन्टू कबूतरा उम्र 32 वर्ष निवासी थाना महोबकंठ जनपद महोबा को एक सफेद प्लास्टिक की पिपिया में 15 लीटर कच्ची महुआं नाजायज शराब बरामद करते हुये गिरफ्तार किया गया, जिस पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 154/2021 धारा 60 आबकारी अधि0 पंजीकृत किया गया।

इसी क्रम में द्वितीय टीम ने अवैध शराब के विरुद्ध अभियान के तहत अभियुक्त मुन्ना पुत्र गोटीराम साहू उम्र करीब 45 वर्ष निवासी ग्राम गाड़ौ थाना महोबकंठ जनपद महोबा को ग्राम गाड़ौ के पास से एक सफेद प्लास्टिक की पिपिया में 20 लीटर कच्ची महुआं नाजायज शराब बरामद करते हुये गिरफ्तार किया गया जिस पर अभियुक्त उपरोक्त के विरुद्ध थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 155/2021 धारा 60 आबकारी अधि0 पंजीकृत किया गया।



गिरफ्तार करने वाली संयुक्त पुलिस टीम-

1. उ0नि0 सुनील कुमार
2. उ0नि0 सूरज प्रसाद
3. कां. महिताप सिंह
4. कां. करन जायसवाल
5. म.कां. आकांक्षा पटेल
- 6- कां.प्रवीण कुमार
- 7- कां. तुषार सिंह



प्रेस विज्ञप्ति
दिनांक:- 12.11.2021

महोबा पुलिस

मीडिया सेल, महोबा



जनपदीय पुलिस द्वारा सुरक्षा व्यवस्था को अक्षुण्य बनाये रखने हेतु अपने-अपने थाना क्षेत्र के भीड़-भाड़ वाले क्षेत्र में भारी पुलिसबल के साथ भ्रमण किया गया तथा यातायात नियमों के प्रति लोगों को किया गया जागरूक

दुकानों का निरीक्षण किया गया एवं सेल्समैन को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इसी क्रम में सड़क सुरक्षा सप्ताह के अन्तर्गत यातायात प्रभारी तथा जनपदीय पुलिस द्वारा अपने-अपने थाना क्षेत्रों में लोगों को यातायात नियमों के प्रति किया गया जागरूक तथा राहगीरों को यातायात नियमों के संबंध में पम्पलेट भी दिए गये।

यातायात नियमों के उल्लंघन पर **88** ई-चालान किये गये।



आज दिनांक 12.11.2021 को पुलिस अधीक्षक महोबा श्रीमती सुधा सिंह के निर्देशन में जनपद में शान्ति/कानून-व्यवस्था के मद्देनजर समस्त थानों द्वारा अपने थाना क्षेत्र के मुख्य बाजार, धार्मिक-स्थल, बस-स्टैंड, ढाबा आदि जगहों पर पैदल गस्त करके संदिग्ध वाहनों/व्यक्तियों की चेकिंग की गई तथा सुरक्षा के दृष्टिगत मन्दिरों में पुलिस तैनात किया गया है, साथ ही लोगों को कोविड संक्रमण की तीसरी लहर के प्रति सचेत करते हुए मास्क का प्रयोग व 02 गज की दूरी सहित कोविड गाइडलाइन का पालन करने की अपील की गई। इसी क्रम में जनपदीय पुलिस द्वारा शराब कि





प्रेस विज्ञप्ति
दिनांक:- 12.11.2021

महोबा पुलिस

मीडिया सेल, महोबा



Mahoba Police